लिए बुला लिया है। आज सड़कों पर लोग आमने-सामने तलवार, लाठियां लेकर खड़े हैं। (व्यवधान)

यह बात मैं कहना चाहता हूं कि आप देश को बचाना चाहते हैं या बर्बाद करना चाहते हैं तीसरी बात यह है कि मैं केवल प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि जब सारा सदन इस बात को कह रहा है कि आप यहां पर सबसे बातचीत करिए तो प्रधानमंत्री यह जरूर बताएं कि उनको बातचीत करने में क्या ऐतराज है। उन्होंने बार-बार यह कहा है कि गवर्नमेन्ट कनसैन्सस से चल रही है। इस मामले में कनसैन्सस क्यों नहीं हो सकता है। हम मंडल कमीशन के खिलाफ नहीं हैं पर सारा हाउस कह रहा है कि आप कनसैन्सस करिए, बातचीत करिए। प्रधानमंत्री पंजाब के आतंकवादियों से बात कर सकते हैं, कश्मीर के सैपरेटिस्ट से बात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री अपने नौजवानों से बात क्यों नहीं कर सकते हैं और सारी पोलीटिकल पार्टीज से बात क्यों नहीं कर सकते। इनसे कनसैन्सस क्यों नहीं पैदा किया जाता। चौथी बात, नौकरियों में इनको या उनको 10 परसैंट या 15 परसैंट कहां दिया जाएगा? 1984 से बैन लगा रखा है कि गवर्नमेण्ट आफ इंडिया में कोई पद भरा नहीं जाता। जब नौकरियां ही नहीं है तो आप उन्हें बांटेंगे किसे प्रधान मंत्री इस प्रतिबन्ध को हटाएंगे या नहीं, यह भी बताएं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें प्रधानमंत्री की बात सुननी चाहिए।

12.18 म० प०

प्रधान मन्त्री द्वारा वक्तव्य

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के अतिरिक्त युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के उपाय

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : 7 अगस्त, 1990 को मैंने मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की घोषणा इस सदन में की थी।

जैसा कि सदन को ज्ञात है, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1980 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत की थी। तत्पश्चात अनेक बार दोनों सदनों में इस पर चर्चा की गई और इसे पर्याप्त समर्थन मिला तथा मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन की जोरदार मांग की गई। राष्ट्रीय मोर्चे ने अपने घोषणा पत्र में यह घोषणा की थी कि यह अतिशीघ्र मंडल आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन करेगा और चुनाव के दौरान लोगों को सत्यनिष्ठा से यह वचन दिया था कि वह सत्ता में आने के एक वर्ष के अन्दर इसका कार्यान्वयन करेगा।

जब यह सरकार सत्ता में आई तो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा था कि सरकार मंडल आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन करने के लिए वचनबद्ध है। सदस्यों के एक बड़े वर्ग की ओर से दोनों सदनों में इसके कार्यान्वयन की सतत मांग की गई। पिछले सत्र में मैंने राज्य सभा में यह आश्वासन दिया था कि सरकार जल्दी ही इस पर अपना निर्णय लेगी।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, श्रमिकों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने के लिए इस सरकार ने अनेक निर्णय किए हैं। सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, जो हमारी जनसंख्या का 52% बनते हैं, को न्याय दिलाने की अपनी पूर्व बचनबद्धता के अनुसार मंडल आयोग की रिपोर्ट पर सरकार का निर्णय उन उपायों का ही एक भाग है जो कि "सामाजिक न्याय वर्ष", अर्थात बाबा साहेब डा० बी० आर० अम्बेडकर शताब्दी वर्ष में किया गया है।

उन्हें आरक्षण प्रदान करने में, सरकार की मंशा यह है कि उन्हें सामाजिक न्याय दिया जाए और हमारे संविधानिक दायित्वों को निभाते हुए उन्हें देश के अभिशासन तथा इसका रूप निखारने में हिस्सा दिया जाए। जैसा कि सदस्यों को विदित है कि अनेक राज्यों द्वारा अपनी सेवाओं में पिछड़े वर्गों को पहले ही आरक्षण दे दिया गया है। मंडल आयोग की सिफारिशों पर इस सरकार का निर्णय भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सेवाओं से संबंधित है।

मंडल आयोग की रिपोर्ट केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में है। इसमें आर्थिक मानदंड जोड़ने से इसका प्रयोजन फीका पड़ जाएगा। अतः सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 22.5% को कम करना सम्भव नहीं है।

इसके साथ-साथ सरकार हमारे सामान्य युवाओं के भविष्य के प्रति भी समान रूप से चिन्तित है। राज्य सभा में सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अतिरिक्त, गरीबों के लिए भी आरक्षण प्रदान किया जाए और मैंने यह कहा था कि सामाजिक वर्गों पर ध्यान दिए बिना हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। यही बात वित्त मंत्री प्रो० मधु दंडवते जी द्वारा लोक सभा में हुई चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए दोहराई गई थी। इस महान सदन में व्यक्त भावनाओं का आदर करते हुए हम सामाजिक वर्गों पर बिल्कुल ध्यान दिए बिना और पूर्णतः समुचित आर्थिक मानदंडों के आधार पर गरीबों के लिए 5% से 10% अतिरिक्त आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव करते हैं।

राष्ट्रीय मोर्चे की सत्यनिष्ठापूर्वक की गई एक अन्य वचनबद्धता काम के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल करने से संबंधित थी। सरकार राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श के बाद उपलब्ध संसाधनों के अन्दर काम के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाने के लिए समुचित रूढ़ि विचार के बाद इसी सत्र में एक संविधान संशोधन विधेयक लाने का इरादा रखती है और उसे पारित करने में सभी दलों का सहयोग चाहती है।

हमारे युवाओं के प्रति हमारी चिन्ता के फलस्वरूप आठवीं योजना में रोजगार पर संकेन्द्रित बल देने का निर्णय किया गया है। आठवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में त्वरित दर से उत्पाक रोजगार के अवसरों के विस्तार को केन्द्रीय लक्ष्य बनाया गया है। योजना का लक्ष्य रोजगार में बढ़ोतरी की वार्षिक दर के हिसाब से निश्चित किया गया है तथा यह अगले दशक के दौरान प्रति वर्ष 3% बढ़ोतरी के रूप में निर्धारित किया गया है। शिक्षित लोगों के साथ-साथ गरीब लोगों की बेरोजगारी की समस्या वास्तव में रोजगार अवसरों के त्वरित विस्तार विशेष रूप से व्यावसायिक तथा वाणिज्यिक स्वरोजगार तथा सर्वांगीण उत्पादक रोजगारोन्मुख अर्थव्यवस्था के विकास से ही हल की जा सकती है।

यहां यह उल्लेख भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि सरकार राष्ट्र के निर्माण में युवाओं को शामिल करने तथा युवाओं की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय युवा परिषद

स्थापित करने का इरादा रखती है। रोजगार संभावनाओं तथा सामान्य रूप से हमारे शिक्षित युवाओं के भविष्य के प्रति सरकार की चिन्ता को ध्यान रखते हुए, मैंने 15 अगस्त, 1990 को अपने इस निर्णय की घोषणा की थी कि युवाओं के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए संसाधनों का प्रवाह 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 265 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा और यह मुख्यत: स्वरोजगार, उच्च अध्ययन तथा साक्षरता कार्यक्रमों में युवाओं को शामिल करने के लिए होगा। ऐसा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि केवल सरकारी नौकरियों से ही बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता अत: लाभकारी रोजगार के अन्य रास्ते भी बढ़ाने होंगे।

इन तथ्यों को इनके सच्चे परिप्रेक्ष्य में देखते हुए मुझे विश्वास है कि देश के सभी वर्ग तथा माननीय सदस्य हमारे सामाजिक तथा संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने और सामाजिक न्याय की ओर अग्रसर होने में हमें अपना पूरा-पूरा सहयोग देंगे।

———

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

कुमारमंगलम जी। संक्षेप में बोलिए।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : महोदय, मैंने पूरे देश में और विशेष तौर पर दिल्ली में वर्तमान स्थिति के बारे में एक नोटिस दिया है। यह वक्तव्य, जो प्रधान मन्त्री ने पढ़कर सुनाया है, पहले ही समाचार पत्रों में आ चुका है। यह हमारे लिए कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि विद्यार्थी बिना किसी वास्तविक राजनैतिक समर्थन के आन्दोलन कर रहे हैं। **(व्यवधान)** कोई भी राजनैतिक दल उनका समर्थन नहीं कर रहा है।

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : आप उन्हें समर्थन दे रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : वर्तमान स्थिति यह है कि यहां दो मंत्री उपस्थित हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अकबर साहब, आप अपने सदस्य की बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, इस नाजुक स्थिति में विद्यार्थियों से बात करने और एक ऐसी अबोहवा पैदा करने, जिसमें एक सामाजिक सुधार लागू किया जा सके, की बजाए, ये मंत्री, जिन्होंने संविधान के अन्तर्गत शपथ ली है, खुल्लमखुल्ला हिंसा और समाज को बांटने का आह्वान कर रहे हैं। वे देश को विभाजित कर रहे हैं। यदि उनमें साहस है तो उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। जो मंत्री यहां बैठे हैं, ने अपनी स्थिति खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग कर हिंसा को भड़काकर उस शपथ का उल्लंघन किया है, जो उन्होंने हमारे संविधान के अन्तर्गत ली है। महोदय, वे देश को विभाजित कर रहे हैं और एक वर्ग युद्ध शुरू कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वे मंत्री कैसे बने रह सकते हैं ? मैं उनके इस्तीफों की मांग करता हूं। यदि उनमें साहस है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। **(व्यवधान)**